

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17 / अनापत्ति-02 / 2024

पटना, दिनांक:- / / 2025

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों में कार्यरत निम्नांकित चिकित्सक/चिकित्सक शिक्षकों/दंत चिकित्सक शिक्षकों को कंडिका-04 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति का उद्देश्य
1	2	3	4
1	डा० सीमा कुमारी, सहायक प्राध्यापक (सविदा) पी०एस०एम०विभाग	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	IGIMS, Patna में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/साक्षात्कार में भाग लेने हेतु
2	डा० सिद्धांत कुमार, सीनियर रेजिडेंट (टेन्चोर), दंत विभाग	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना	IGIMS, Patna में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/साक्षात्कार में भाग लेने हेतु

2 यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त योगदान के पूर्व संबंधित चिकित्सक/चिकित्सक शिक्षक/दंत चिकित्सक शिक्षक को धारित पद से त्याग-पत्र देना होगा।

3 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

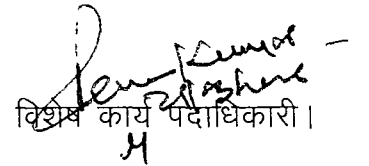
ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/अनापत्ति -02/2024-302(17) पटना, दिनांक:- 24/03/2025

प्रतिलिपि - संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक/चिकित्सक शिक्षक/दंत चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।